UPBG010032172020

न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03,
विशेष न्यायालय उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986,बागपत।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 1302/2020
मु.अ.सं.- 198/2016
अ0धारा- 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986,
थाना- खेकड़ा, जिला बागपत।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त प्रिंस शर्मा पुत्र योगेन्द्र शर्मा, उर्म करीब 30 वर्ष, निवासी ग्राम रावण उर्फ बड़ा गॉव, थाना खेकड़ा, जिला बागपत की ओर से विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपरोक्त मामलें में यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत का विरोध किया है।

प्रकरण के तथ्य यह हैं कि अभियुक्त प्रस्तुत मामलें में पूर्व से जमानत पर था। अनुपस्थित होने पर उसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये गये, जिसके अनुक्रम में वह दिनांक 14-09-2020 से जिला कारागार बागपत में निरूद्ध है। अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसे उक्त अभियोग में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व तिथि को माननीय न्यायालय में हाजिर आया था तथा पत्रावली पर अपने हस्ताक्षर करके नियत तिथि की जानकारी अपने अधिवक्ता को देकर गया था, तत्पश्चात् कोरोना महामारी के चलते यातायात के साधनों की कमी व बीमार हो जाने के कारण के कारण वह माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका। प्रार्थी/अभियुक्त को अनुपस्थित मानते हुए माननीय न्यायालय ने दिनांक 20-01-2020 को एन०बी०डब्लू० जारी कर दिये गये थे। दिनांक 14-09-2020 को प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा एन०बी०डब्लू० निरस्त कराने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा माननीय न्यायालय में यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है तथा अन्य न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थनापत्र विचाराधीन नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित हैसियत की जमानत देने को तैयार है।

मामलें के तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अभियुक्त द्वारा अंकन एक लाख रू० का व्यक्तिगत मुचलका व समान राशि की दो जमानतें दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक 23-09-2020

अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03
विशेष न्यायाधीश उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण), अधि० 1986,
बागपत।